भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० हिन्दी- 89/रा०भा० 1/12/2 नयी दिल्ली, दिनांक 7/2/90

अधिसूचना

राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड उत्तर रेलवे, अम्बाला मण्डल के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहां के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है।

उत्तर रेलवे

अम्बाला मण्डल

1. स्टेशन अधीक्षक/अम्बाला छावनी।
2. स्टेशन अधीक्षक, अम्बाला शहर।
3. स्टेशन अधीक्षक, अबोहर।
4. स्टेशन अधीक्षक, अलाल।
5. स्टेशन अधीक्षक, भटिंडा।
6. स्टेशन अधीक्षक, बंगल डैम।
7. स्टेशन अधीक्षक, जगाधरी।
8. स्टेशन अधीक्षक, जगाधरी वर्कशाप।
9. स्टेशन अधीक्षक, सहारनपुर।
10. स्टेशन अधीक्षक, कालका।
11. स्टेशन अधीक्षक, बराड़ा।
12. स्टेशन अधीक्षक, दप्पर
13. स्टेशन अधीक्षक, भिदड़वाहा।
14. स्टेशन अधीक्षक, खन्ना।
15. कोचिंग डिपो अधिकारी, कालका।
16. स्टेशन अधीक्षक, मलेर कोटला।
17. स्टेशन अधीक्षक, पटियाला।
18. स्टेशन अधीक्षक, राजपुरा।
19. स्टेशन अधीक्षक, सरहिन्द।
20. लोको फोरमैन, सहारपुर।

314+20
334

(ए०एन०शुक्ल)
सचिव, रेलवे बोर्ड,
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

(भारत के राजपत्र के भाग - 2 खंड - 3 के उप खंड (2) में प्रकाशनार्थ)

ह0/-
(विजय कुमार मल्होत्रा)
निदेशक, राजभाषा, रेलवे
बोर्ड ।

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
कापुरी, रिंग रोड,
नयी दिल्ली ।
- - - - - -

प्रतिलिपि
- - -

1. महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली ।
2. महाप्रबन्धक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन कारखानों को सूचनार्थ प्रेषित (उत्तर रेलवे को छोड़ कर) ।
3. बोर्ड कार्यालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) लोकनायक भवन, खान मार्किट, नयी दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. संसदीय राजभाषा समिति, II, तीन मूर्ति मार्ग, नयी दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली ।

सं० 843-ई/147/रा०भा०अ०/ई-7, दिनांक 29-2-1990.

मण्डल रेल प्रबन्धक, दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, इलाहाबाद,
मुरादाबाद, जोधपुर, बीकानेर ।

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/अमृतसर, आलमबाग-लखनऊ, बीकानेर और जोधपुर ।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/जगाधरी कारखाना और चारबाग-लखनऊ ।

उप मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर/गाजियाबाद ।

निर्माण प्रबन्धक, कानपुर ।

उप शहर नियंत्रक, शकूरबस्ती, जोधपुर, आलमबाग-लखनऊ ।

मुख्य अधीक्षक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)/शकूरबस्ती ।

मुख्य इंजीनियर (निर्माण) कश्मीरी गेट, दिल्ली ।

मुख्य लेखा अधिकारी (या०ने०)/दिल्ली किश्नगंज ।

लेखा अधिकारी (या०ने०) जलंधर शहर ।

उप मुख्य वाणिज्य अधीक्षक (दावा), वाराणसी ।

मुख्य वाणिज्य अधीक्षक (दावा), आई ०आर०सी०ए० बिल्डिंग/नई दिल्ली ।

मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, एन०डी०सी०आर०, नयी दिल्ली ।

मुख्य अस्पताल अधीक्षक, केन्द्रीय अस्पताल, नई दिल्ली ।

प्रधान आचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, चन्दौसी ।

मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, स्टेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली ।

उप मुख्य इंजीनियर (कंक्रीट स्लीपर प्लांट) सूबेदारगंज, इलाहाबाद

सभी विभागाध्यक्ष, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नयी दिल्ली ।

अभिसूचना

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेलवे बोर्ड ने अपने 7.2.90 के पत्र सं० हिन्दी-89/रा०भा०-1/12/2 के द्वारा उत्तर रेलवे के अम्बाला मंडल के जिन कार्यालयों को अधिसूचित किया है, उनकी सूची सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए संलग्न है ।

संलग्न: यथोक्त ।

कृते महाप्रबन्धक (राजभाषा)